

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
औरैया।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(उ०प्र०)
पर्यावरण वन एवं जलवायु,
परिवर्तन विभाग, राणा प्रताप मार्ग
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक: /527/डीएलआरसी-भूमि विनिमय/2022 दिनांक 27 अगस्त, 2022

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद औरैया में तहसील औरैया के राजस्व ग्राम अस्ता में सम्भावित बाढ़ प्रभावित ग्राम अस्ता को उच्च स्तरीय स्थान पर बसाये जाने हेतु वन विभाग की भूमि से विनिमय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद औरैया में तहसील औरैया के राजस्व ग्राम अस्ता में बाढ़ प्रभावित ग्राम अस्ता के बाढ़ प्रभावित ग्रामवासियों को उच्च स्थान पर बसाये जाने हेतु तहसील औरैया के राजस्व ग्राम अस्ता की 3.943 हे० ग्राम सभा भूमि को वन विभाग की 3.943 हे० भूमि से विनिमय किये जाने हेतु प्रस्ताव आपको पूर्व में प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त आपके द्वारा इंगित आपत्तियों का ऑनलाइन निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी के माध्यम से कराते हुये सुसंगत अभिलेखों सहित आख्या दिनांक 30.06.2022 को आपको पुनः प्रेषित की जा चुकी है।

ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकरण में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

प्रभागीय वनाधिकारी औरैया द्वारा अपने पत्र संख्या-108/147 दिनांक 11.07.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव में आपके कार्यालय द्वारा पुनः निम्नलिखित पृच्छायें की गई हैं:-

- 1- In L uploaded Non forest land in small patches. upload Non forest land in one patch nearest of forest area.
- 2- upload complete and approved Sanction letter.

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है, कि प्रश्नगत वन विभाग की भूमि के निकट ग्राम पंचायत अस्ता में एक पैच (patch) में विनिमय हेतु ग्राम सभा भूमि उपलब्ध नहीं है। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत अस्ता में ग्राम सभा की यही भूमि उपलब्ध है, जिसका भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा विधिवत् प्रस्ताव पारित किये जाने के उपरान्त विनिमय प्रस्ताव आपको प्रेषित किया गया है।

REGISTRATION
1179

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया

तहसीलदार
औरैया
तहसीलदार
औरैया।

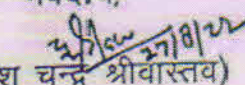
उल्लेखनीय है कि वन विभाग को विनिमय में दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि के सन्निकट पूर्व से वन विभाग की ही भूमि है, अतः विनिमय के उपरान्त वन विभाग की भूमि समेकित (Contiguous) रहेगी। विनिमय में दिये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि एवं उसके संलग्नक पूर्व से स्थित वन विभाग की भूमि को दर्शाकर मौके का नजरी नक्शा भी संलग्न है।

पृच्छा के दूसरे बिन्दु के क्रम में सम्बन्धित कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर दी गयी है।

यह भी अवगत कराना समीचीन है, कि वर्तमान में भी ग्राम अस्ता बाढ़/जलमराव से प्रभावित है तथा ग्रामवासियों को नावों द्वारा विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। ग्रामवासियों द्वारा जन प्रतिनिधियों, मा0 सांसद, मा0 विधायक व प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रश्नगत विनिमय की कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाकर ग्राम आबादी को उक्त प्रस्तावित ऊँचे स्थान पर शीघ्र स्थानान्तरित कराया जाये। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिण्ट मीडिया द्वारा भी मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा अब तक लागू न हो पाने के विषय को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। वर्तमान में उक्त ग्राम के बाढ़ प्रभावित होने के कारण मा0 मुख्य मंत्री जी के पुनः आगमन की भी सम्भावना है जिसमें यह विषय प्रमुखता से उठ सकता है। प्रश्नगत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित तथा जनहित का प्रकरण है जिस पर तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है तथा प्रकरण का निरन्तर अनुश्रवण (Monitoring) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है, कि वर्णित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/REHAB/149021/2021 में प्रस्ताव स्वीकृत करने विषयक अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

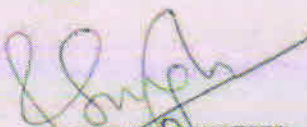
भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
औरैया।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. जिला प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग औरैया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही/पैरवी करें।

जिलाधिकारी,
औरैया।


तहसीलदार
औरैया


प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया

तहसीलदार
औरैया।

अनुपालन कार्यवृत्त

-2-

A.D.M. 2 बाढ़ प्रयत्न

341

- संप्रदायगत ने मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद औरिया व इटावा में बाढ़ के दौरान अमरा के समग्र स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये विन्दु के शत-प्रतिशत अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद औरिया में विगत 10 वर्षों में बाढ़ के समय बार-बार जलमय हो रहे ग्रामों की प्रभावित आबादी को उच्चकृत स्थलों पर बसाये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में एक सप्ताह में अस्तित्व मय बाढ़ संख्या व प्रभावित जनसंख्या के साथ शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद इटावा में बाढ़ के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने भ्रमण के समय बाढ़ व पुलिस बल की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन से शासन को अवगत कराने विषयक अख्या प्रेषित की जाय।
- बाढ़ उपरांत पानी छतरने के बाद ग्रामी क्षेत्रों में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सफाई-सफाई, सैनीटाइजेशन व क्लीनिंग पावडर का छिड़काव कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि योग्य भूमि, बोया गया कृषि योग्य क्षेत्रफल, क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ी, पशुहानि, जनहानि का आकलन कर राहत पहुंचाये जाने के संलग्न में कृत कार्यवाही के अभिलेखीकरण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित जलमयों को जिलाधिकारी को दिये गये।

3. गौवंश संरक्षण स्थल सत्यापन

- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय पत्र संख्या-628 दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में समस्त गौवंश संरक्षण स्थलों की सत्यापन में भाग लेने वाली कमियों तथा चारा भूसा, पानी, चिकित्सीय परीक्षण, गौवंश भण्डान, पंजिका में प्रविष्टि अद्यावधिक किया जाना व पशुओं के अन्योन्य की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की समीक्षा के क्रम में जनपद औरिया में 27, इटावा में 20, फर्रुखाबाद में 01 के कानपुर देहात में 09 गौवंश संरक्षण स्थलों पर दूर दूरी की कमी की प्रकरण को दूर किये जाने के निर्देश सभी सम्बन्धित जलमयों को जिलाधिकारी को दिये गये। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी कि सम्बन्धित जलमयों पर नोडल अधिकारी नापित करवा दये/सत्यापन कार्य कराया जाय।
- संप्रदायगत ने पशुओं के शवों की निस्तारण समुचित ढंग से करवाये जाने के निर्देश दिये गये। संग्रहण पत्रों में इसके विपरीत समीक्षा प्रकाशित होने की दशा में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को सतर्कतापूर्वक निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व नायब तहसीलदार को टीएम मादित कर समय-समय पर पशुओं के निहन पर कीर्तियों का पता लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
- गौवंश संरक्षण स्थल पर जनशय, झंडा निर्माण, नादी एवं चरही, गौवंश निस्तारण, विधुय रोकथाम की कमी को दूर करने के साथ-साथ स्थल में सफाई-सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। यह भी अपेक्षा की गयी कि केयर टैंकर की समुचित तैनाती कर मातृशय की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय।

14-58-5FADm

25/8/2021

DLAC/CRA

संलग्न तहसीलदार औरिया

जलमय औरिया 25/8/2021

तहसीलदार औरिया

तहसीलदार औरिया

प्रभागीय वनाधिकारी औरिया वन प्रभाग-औरिया